



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) सं. 4326/ 2024

बेला माणिकपुरी, पति- धर्मेन्द्र कुमार माणिकपुरी, आयु- लगभग 47 वर्ष, सहायक ग्रेड-1, अधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय बिलासपुर, जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़, के रूप में पदस्थ।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)
- 2 - सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
- 3 - अपर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 4 - राम सिंह मरकाम, पिता- बुदलाल मरकाम, आयु- लगभग 43 वर्ष, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.), में अनुभाग अधिकारी के रूप में पदस्थ

..... उत्तरवादी

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)



याचिकाकर्ता की ओर से : श्री पंकज सिंह, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री सुयशधर बड़गैया, उप- शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

पीठ पर आदेश

10/01/2025

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका 07/03/2024 दिनांकित आक्षेपित पदोन्नति आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से उत्तरवादी सं. 4 जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ है, को याचिकाकर्ता के बदले पदोन्नत किया गया है। विभागीय पदोन्नति समिति ने इस तथ्य के बावजूद उत्तरवादी सं. 4 के नाम की अनुशंसा की है कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ और योग्य है। याचिकाकर्ता वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एनुअल कॉन्फिडेन्शियल प्रतिवेदन/ ए.सी.आर.) में असंचारित प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाए जाने की प्रार्थना कर रही है।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों हेतु प्रार्थना की है:-

“(i) कि माननीय न्यायालय एक रिट, आदेश या कोई अन्य उपयुक्त निर्देश जारी कर 07.03.2024 दिनांकित आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की कृपा करे, जिसमें वरिष्ठता बिना किसी वैध कारण के और विभाग के सेवा शर्त नियमों (अनुलग्नक P/1) के विरुद्ध, याचिकाकर्ता को छोड़कर याचिकाकर्ता से कनिष्ठ श्री राम सिंह मरकाम को पदोन्नत किया गया है; तथा

(ii) विभागीय पदोन्नती समिति ने याचिकाकर्ता से कनिष्ठ श्री रामसिंह मरकम को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने की अनुशंसा की



थी, जिसे अपास्त करते हुए माननीय न्यायालय एक रिट, आदेश या कोई अन्य उपयुक्त निर्देश जारी करने की कृपा करे। इस निर्णय में स्पष्ट कारण का अभाव है। याचिकाकर्ता की वरिष्ठता और योग्यताओं के बावजूद, श्री राम सिंह मरकाम को अन्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से पदोन्नत किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता को असंचारित टिप्पणी के आधार पर हटा दिया गया था। (अनुलग्नक P/2)

(iii) कि माननीय न्यायालय उत्तरवादी प्राधिकरण को एक रिट, आदेश या कोई अन्य उपयुक्त निर्देश जारी कर उत्तरवादी प्राधिकरण को निर्देशित करने की कृपा करे, की अनुभाग अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति की अनुशंसा का पुनर्विलोकन किया जाए तथा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विभाग के सेवा शर्त नियमों तथा याचिकाकर्ता को संचारित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर विचार किया जाए; तथा

(iv) कि माननीय न्यायालय 07.06.2024 दिनांकित अभ्यावेदन (अनुलग्नक P/5) पर निर्णय लेने के लिए उत्तरवादी प्राधिकारी को एक रिट, आदेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट निर्देश जारी करने की कृपा करे जिसमें अधिकारियों से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने और समयबद्ध अवधि में श्री राम सिंह मरकाम के स्थान पर उसे सही पदोन्नति प्रदान किए जाने का निर्देश दिया जाए; तथा

(v) यह माननीय न्यायालय पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति को निर्देश देने की कृपा करे कि वह अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारी पर विचार करते समय याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में सम्मिलित किसी भी प्रकृति की प्रतिकूल टिप्पणी पर विचार/भरोसा न करे; तथा



(vi) कि माननीय न्यायालय वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में असंचारित प्रतिकूल टिप्पणी - “कार्य में अरुचि और वातावरण दूषित करने की प्रवृत्ति” को हटाने या भविष्य में उसके अनुसार कार्यवाही न किए जाने के लिए एक रिट, आदेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट निर्देश जारी करने की कृपा करे।

(vii) कोई अन्य अनुतोष, जिसे यह माननीय न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझता है, भी याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किए जाने की कृपा करे।”

3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें शुरू में वह 05/05/2006 दिनांकित आदेश के अनुसार महाधिवक्ता कार्यालय में ‘टाइपिस्ट’ के रूप में नियुक्त हुई और तत्पश्चात् वह 07/08/2014 दिनांकित आदेश के अनुसार सहायक ग्रेड-II के रूप में पदोन्नत हुई। तत्पश्चात्, 13/11/2019 दिनांकित आदेश के अनुसार वह सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत हुई। उत्तरवादी सं. 4 भी टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त हुआ था और उसे याचिकाकर्ता से नीचे रखा गया था। याचिकाकर्ता 01/04/2023 दिनांकित पदक्रम सूची में वरिष्ठ थी। सहायक ग्रेड-I के फीडर संवर्ग से अनुभाग अधिकारी की दो रिक्त पदों हेतु पदोन्नति के लिए एक विभागीय पदोन्नती समिति (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमीटी/विभागीय पदोन्नती समिति) का गठन किया गया था। याचिकाकर्ता का नाम विचार के क्षेत्र में था। उसे क्रम संख्या-3 में स्थान दिया गया था। उत्तरवादी सं. 4 को क्रम संख्या-4 पर रखा गया था। विभागीय पदोन्नती समिति की बैठक 05.02.2024 को बुलाई गई थी और संबंधित पक्षों की उम्मीदवारी का मूल्यांकन करने के बाद और छत्तीसगढ़ विधि और विधायी विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमों, 1983 के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियमों, 2003 का पालन करते हुए, जो वरिष्ठता-सह-योग्यता/उपयुक्ता पर आधारित है और पिछले पांच वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर विचार करते हुए, उत्तरवादी सं. 4 को पदोन्नत किया गया और याचिकाकर्ता को यह कहते हुए उक्त पद के लिए पदोन्नत नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता का वार्षिक



गोपनीय प्रतिवेदन योग्य नहीं पाया गया है और याचिकाकर्ता और एक विजय सरजूसे के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में कहा गया था कि वे आधिकारिक कार्य में रुचि नहीं रखते हैं और उन्हें कार्यालय के वातावरण को दूषित करने की गतिविधि में सम्मिलित पाए गए हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अभिलिखित उक्त निष्कर्ष को याचिकाकर्ता को कभी सूचित नहीं किया गया है, इसलिए वह अपने वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अभिलिखित प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में नहीं जानती थी। उसे कभी भी सूचित नहीं किया गया था और उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और ए.सी.आर. में उनके विरुद्ध लगाए गए तथाकथित आरोप को सुधारने का कोई मौका नहीं दिया गया था। चूंकि उस पर केवल असंचारित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया था, इसलिए विभागीय पदोन्नती समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उनके नाम पर विचार नहीं करने के लिए अधिकारियों द्वारा अपनाई गई पूरी कार्यवाही उस सुस्थापित विधि के विरुद्ध है जिसके अनुसार, असंचारित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ए.सी.आर. पर कार्य करते समय असंचारित ए.सी.आर. पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, इस तरह के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे में आक्षेपित पदोन्नति आदेश जिसके द्वारा उत्तरवादी सं. 4 को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है, रद्द किए जाने योग्य है और याचिकाकर्ता को वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन से सूचित करने की आवश्यकता है और विभागीय पदोन्नती समिति की पूरी कार्यवाही को भी अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पदोन्नत नहीं करने का आधार ए.सी.आर. में प्रतिकूल टिप्पणी है जिससे याचिकाकर्ता को कभी सूचित नहीं किया गया है। यदि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी के बारे में उसे सूचित किया गया



होता, तो उसने इसके लिए स्पष्टीकरण दिया होता और अपने आचरण में सुधार किया होता, यद्यपि सुधार का अवसर दिए बिना, उसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, उन्हें केवल उक्त असंचारित प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर पदोन्नति से वंचित किया गया है, जिसे रद्द किए जाने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने (1979) 2 एस. सी. सी. 368 में प्रतिवेदित गुरदियाल सिंह फिज्जी बनाम पंजाब राज्य, (2008) 8 एस. सी. सी. 725 में प्रतिवेदित देव दत्त बनाम भारत संघ तथा (2013) 9 एस. सी. सी. 566 में प्रतिवेदित सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि याचिकाकर्ता का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन योग्य नहीं पाया गया था, इसलिए उसे उत्तरवादी सं. 4 के बराबर नहीं माना गया था, यद्यपि उत्तरवादी सं. 4 याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थी, यद्यपि चूंकि वह वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में उपयुक्त नहीं पाई गई थी, इसलिए उस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि पदोन्नति नियम स्वयं यह दर्शाते हैं कि पदोन्नति के मानदंड वरिष्ठता-सह-योग्यता होंगे। चूंकि याचिकाकर्ता को योग्यता के आधार पर उपयुक्त नहीं पाया गया था, अतः उसे उत्तरवादी सं. 4 के बराबर पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। आदेश में कोई अवैधता नहीं है, याचिका गुण रहित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों का परिशीलन किया है। याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन के साथ-साथ पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं करने का एकमात्र कारण उसके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अभिलिखित प्रतिकूल टिप्पणी है, यद्यपि यह भी विवादित नहीं है कि उसके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अभिलिखित उक्त प्रतिकूल टिप्पणी को कभी भी उसे सूचित नहीं किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी के बारे में जानकारी नहीं थी।



यदि याचिकाकर्ता को प्रतिकूल टिप्पणी के बारे में सूचित किया जाता, तो वह अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करती और उसके पास खुद को सुधारने का मौका होता, यद्यपि चूँकि प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में उसे सूचित नहीं किया गया था इसलिए वह इसे स्पष्ट करने और सुधारने की स्थिति में नहीं थी। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी सं. 4 से वरिष्ठ थी। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य का 29.11.1984 दिनांकित एक परिपत्र है जिसके द्वारा राज्य/प्राधिकरणों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारी के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में प्रविष्टि को सूचित किया जाए और ए.सी.आर. में दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे ए.सी.आर. पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जिसके बारे में संबद्ध व्यक्ति को सूचित न किया गया हो।

7. सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त) के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

“.....8. हमारी मत में, देव दत्त [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस. सी. सी. 725 : (2008) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 771] में अपनाया गया दृष्टिकोण कि लोक सेवक के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रत्येक प्रविष्टि को उचित अवधि के भीतर उसे सूचित किया जाना चाहिए, विधिक रूप से सही है और यह तीन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। सबसे पहले, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रत्येक प्रविष्टि का एक लोक सेवक को संचार करने से उसे अधिक मेहनत कर अधिक उपलब्धि अर्जित करने में सहायता मिलती है जिससे उसे अपने कार्य में सुधार करने और बेहतर परिणाम देने में सहायता मिलती है। दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रवेश के बारे में जागरूक किए जाने पर, लोक सेवक इससे



	असंतुष्ट महसूस कर सकता है। प्रविष्टि का संचार उसे वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में दर्ज टिप्पणियों के उन्नयन के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। तीसरा, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रत्येक प्रविष्टि का संचार एक लोक सेवक से संबंधित टिप्पणियों को दर्ज करने में पारदर्शिता लाता है और प्रणाली प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधिक अनुरूप हो जाती है। हम, तदनुसार, मानते हैं कि ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टि- बुरा, ठीक, औसत, अच्छा या बहुत अच्छा-एक उचित अवधि के भीतर उसे सूचित किया जाना चाहिए।
--	---

8. (2018) 18 एस. सी. सी. में प्रतिवेदित **रुखसाना शाहिन खान बनाम भारत संघ व**

अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“1. इस अपील में सम्मिलित एकमात्र विवाद्यक यह है कि क्या असंचारित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एनुअल कॉन्फिडेन्शियल प्रतिवेदन/ ए.सी.आर.), जो अपीलार्थी के लिए प्रतिकूल हैं, का पदोन्नति हेतु अपीलार्थी पर विचार के उद्देश्य से अवलंब लिया जाना चाहिए था।

2. सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ (2013) 9 एस. सी. सी. 566 में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, इस पहलू पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने इस विधि का निपटारा किया है कि असंचारित प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का इस प्रक्रिया में अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

3. तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित निर्णय को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपास्त किया जाता है:

(क) सक्षम प्राधिकरण को असंक्रमित प्रतिकूल ए.सी.आर. पर विचार न



करने और विधि के अनुसार एक नया निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(ख) प्रक्रिया में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाए।"

9. चूंकि 29.11.1984 दिनांकित परिपत्र के संदर्भ में तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में सूचित नहीं किया गया है, इसलिए इसने अपनी प्रभावशीलता खो दी है और इसलिए याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता। कर्मचारी पदोन्नति की हकदार है तथा नियोक्ता/राज्य को अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं करना चाहिए और न ही उसे बेरोजगार व्यक्तियों या कर्मचारी की असहायता और दुख का लाभ उठाना चाहिए, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए। तदनुसार, मेरे मत में, याचिकाकर्ता ने उसके विरुद्ध जारी की गई असंचारित प्रतिकूल टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए उत्तरवादी सं. 4 के बराबर अपनी पदोन्नति पर विचार किए जाने हेतु एक प्रकरण बनाया है क्योंकि यह याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है और इस तरह, याचिकाकर्ता के पास अपनी स्थिति स्पष्ट करने और उसमें सुधार करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं था।

10. तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी/प्राधिकरणों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी प्रतिकूल टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए पदोन्नति के लिए उसके प्रकरण विचार करें क्योंकि उसे कभी इससे सूचित नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी/प्राधिकरणों को तीन माह की अवधि के भीतर उत्तरवादी सं. 4 के बराबर याचिकाकर्ता की पदोन्नति के प्रकरण पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

सही/-

(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

